क्रमांक 153 / बो.प्र. / नि.स. / 2020 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

दिनांक / 08 / 2020

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री एम.डी. देवांगन, अधिवक्ता सक्ती, देवांगन जनरल स्टोर्स, वार्ड नं0–09, रानिसागर पारा खरसिया रोड सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	— विरुद्ध —	श्री एल. बी. शाह जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर

अपील प्रकरण क्रं. 153
आदेश दिनांक 25.08.2020

1. आज दिनांक 25.08.2020 को प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह उपस्थित हुए। अपीलार्थी श्री एम.डी. देवांगन, अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

2 प्रकरण के अवलोकन में पाया गया कि अपीलार्थी श्री एम.डी. देवांगन, अधिवक्ता, सक्ती के आवेदन दिनांक 12.06.2020 के द्वारा मिनीमाता बांगों नहर संभाग क्रं.–6, नंदेली भांठा सक्ती में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटारों की जानकारी जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर से मांगी गई थी। अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 23.07.2020 जो कि इस कार्यालय को दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त हुआ– के अनुसार अपील आवेदन प्रस्तुत करने तक अपीलार्थी को जनसूचना अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जनसूचना अधिकारी के नस्ती के अवलोकन में पाया गया कि उनके पत्र क्रं. 5619, दिनांक 24.06.2020 के द्वारा अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र प्रेषित कर नकल शुल्क जमा करने हेतु लेख किया गया था।

425
5/9/20

जनसूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रं. 7609, दिनांक 24.08.2020 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उक्त अपील के संबंध में सूचित किया कि अपीलार्थी को शायद किसी कारणवश उनका पत्र नहीं मिल पाया होगा, इसलिए उनके द्वारा अपील प्रस्तुत किया गया है।

जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रं. 7691, दिनांक 25.08.2020 के द्वारा आज पुनः सूचित किया गया कि अपीलार्थी को उनका पूर्व पत्र क्रं. 5619, दिनांक 24.06.2020 प्राप्त हो चुका है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा नकल शुल्क भी जमा कर दिया गया है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि उनके पत्र क्रं. 7670, दिनांक 25.08.2020 के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रेषित कर दी गई है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित की गई जानकारी के अवलोकन में पाया गया कि उक्त जानकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता को, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर संभाग क्रं.–6, नंदेली भांठा, सक्ती से प्राप्त जानकारी नहीं है।

इस संबंध में स्थापना कक्ष के प्रभारी श्री एस.एस. देवांगन, अधीक्षक को बुलाकर पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त जानकारी, उन्हें मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगों परियोजना, बिलासपुर से प्राप्त जानकारी में से ली गई है। कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगों नहर संभाग क्रं. –6, नंदेली भांठा, सक्ती से कार्यालय प्रमुख अभियंता को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन उपरान्त अपीलार्थी को इस सुझाव के साथ कि "यदि उपलब्ध करायी गई जानकारी से वे संतुष्ट न हो तो मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगों परियोजना, बिलासपुर को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।"

प्रकरण निराकृत किया गया।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी–सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–19, नवा रायपुर छत्तीसगढ़।

हस्ता/–

(परमानन्द जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, नया रायपुर

पृ. क्रमांक 153/बो.प्र./नि.स./2020/ 7740 दिनांक 26/08/2020

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री लाल बहादुर शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. श्री एम.डी. देवांगन, अधिवक्ता सक्ती, देवांगन जनरल स्टोर्स, वार्ड नं0–09, रानिसागर पारा खरसिया रोड सक्ती, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

26.8.20

(परमानन्द जांगड़े)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर